यालय (तहसीलदार कोटपूतली जयपुर)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 23.11.17

मि.न.174/17

सरकार बनाम हेतराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 216/1.45है0मेंसे 1.45है0 किस्म जमीन बारानी पर हेतराम ,महाराम पुत्र नारायण 1/2,सांवत राम पुत्र हरिराम जाति गुजर्र निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायलान का उक्त खसरा नंबर पर अतिकमण सिद्व होता है।इस लिये गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैर सायलान हेतराम,महाराम पुत्रान नारायण 1/2,सांवतराम पुत्र हरिराम जाति गुजर्र निवासी मलपुरा वाके ग्राम मलपुरा के आ0ख0न0216/1.45है0पर अतिकमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया **जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण** करने के आरोप में लगान राशी 5.80रू का पचास गुणा 290रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-018 ... 75 ... 290रु
... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली